

आर टी आई स्पीड पोस्ट

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/72/2013-14

25 मार्च 2013

श्री चन्द्र प्रकाश
निजी सचिव एवं जनसूचना अधिकारी,
मुख्य सचिव,
मुख्य सचिव कार्यालय लखनऊ,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

संलग्न पत्र श्री दीपक वालिया, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अन्वेषण संगठन, 367/368 कसेरू बक्सर, मवाना रोड मेरठ उत्तर प्रदेश का दिनांक 20 मार्च 2013 का पत्र इस कार्यालय में दिनांक 22 मार्च 2013 को प्राप्त हुआ जिसके साथ इन्होंने रूपये 10/- का पो.आ. संख्या 17F 071041 संलग्न कर मानवाधिकार के तहत इंसाफ की रक्षा हेतु न्यायपूर्ण कार्यवाही की सूचना चाही है, चूंकि पत्र की विषय-वस्तु उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। अतः इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया इनके आवेदन पर उचित कार्यवाही कर, की गई कार्रवाई की सूचना अधोहस्ताक्षरी को तथा आवेदक को भी प्रेषित करने की कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-

श्री दीपक वालिया, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अन्वेषण संगठन, 367/368 कसेरू बक्सर, मवाना रोड मेरठ उत्तर प्रदेश -कृपया विस्तृत जानकारी हेतु उक्त जनसूचना अधिकारी से संपर्क करें।

(महिताब सिंह)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

O/C

26/3/13

④

आर टी आई स्पीड पोस्ट

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/72/2013-14

25 मार्च 2013

श्री चन्द्र प्रकाश
निजी सचिव एवं जनसूचना अधिकारी,
मुख्य सचिव,
मुख्य सचिव कार्यालय लखनऊ,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु


महोदय,

संलग्न पत्र श्री दीपक वालिया, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अन्वेषण संगठन, 367/368 कसेरू बक्सर, मवाना रोड मेरठ उत्तर प्रदेश का दिनांक 20 मार्च 2013 का पत्र इस कार्यालय में दिनांक 22 मार्च 2013 को प्राप्त हुआ जिसके साथ इन्होंने रूपये 10/- का पो.आ. संख्या 17F 071041 संलग्न कर मानवाधिकार के तहत इंसाफ की रक्षा हेतु न्यायपूर्ण कार्यवाही की सूचना चाही है, चूंकि पत्र की विषय-वस्तु उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। अतः इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया इनके आवेदन पर उचित कार्यवाही कर, की गई कार्रवाई की सूचना अधोहस्ताक्षरी को तथा आवेदक को भी प्रेषित करने की कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,



(महिताब सिंह)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

"WE WILL FIGHT TOGETHER WE WILL SURE WIN"

अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अन्वेषण संगठन INTERNATIONAL HUMAN RIGHT INVESTIGATION ORGANISATION

Reg. Office: 367/368, Kaseru Baxer, Mawana Road Meerut, (INDIA) Mob: 9358297075
9759226927, 7417946387, 9358419427

Administration office: A-84, Defence Colony, Mawana Road Meerut, (INDIA)

Ref. No.

Date: 20-3-13



तत्काल**आज ही**अभी
सर्वोच्च प्राथमिकता ** अतिआवश्यक
राष्ट्रहित एवं मानवाधिकार हित में अविलम्ब संज्ञान
हेतु
मानवाधिकार की अक्षुण्ण रक्षा हेतु जनहित में व्यक्तिगत संज्ञान में

**Do Not Delay
PLEASE**

RIGHT to
INFORMATION
MY RIGHT, MY MIGHT,
THE RIGHT TO KNOW
KEEPING GOV'T ACCOUNTABLE

स्पीड पोस्ट ** संलग्न पावती
Most Immediate Time Bond
समयबद्ध ** नियमानुसार

सेवा में,

माननीय हामिद अंसारी जी,
उपराष्ट्रपति, भारत सरकार,
नई दिल्ली।



सर्वप्रथम निवेदन:- बेहद जरूरी निवेदन- आप पद से हट कर पीड़ितों की जगह खुद को रख कर इंसाफ की रक्षा सुनिश्चित करायेगें। पीड़ितों को तत्काल कड़ी सुरक्षा घेरे में लें लेंगे। क्योंकि मानवता से बहुत गहरे जुड़े मानवाधिकारों के नियमों को बेदरती से जूतों तले रोंद दिया गया है। इसलिए आपसे अपेक्षा है कि आप ऐसी ठोस कार्यवाही करेंगे जिसके चलते राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को बिना दातों व बिना पंजों वाला शेर ना कहना पड़े।

विषय:- राष्ट्र के भविष्य मासूम जय कुमार सोनकर (जे0क्रे0) पर अत्याचारियों को गिरफ्तार कर जेल में ठूसने व इतने कम अर्से में करोड़ों की सम्पत्ति अर्जित की इसकी सूचना जांचने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- कृत इंसाफपूर्ण कार्यवाही से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 (Right to Information 1 बजे।) की धारा 6 की उपधारा 3, 6(3) के तय समय सीमा के अन्तर्गत अविलम्ब अवगत कराने के सम्बन्ध में एवं धारा 5 की उपधारा 5 (5) के तहत मैं ही पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन जन सूचना अधिकारी के रूप में भी करूंगा। सूचना पाने के लिए शुल्क के रूप में 10 रुपये का पोस्टल आर्डर संलग्न है जिसकी सं0 111091041 है। उक्त धाराओं से छल-कपट न हो जाये, इसीलिए महामहिम राष्ट्रपति को सम्बोधित कार्यालय का आदेश पत्र संलग्न कर रहा हूँ जिससे आपको स्पष्ट पता लग जायेगा कि न्याय के नासूरों ने इंसानियत को कत्ल-लो-गारत कर इंसाफ की चूल्हें हिलाकर रख दी है।

